

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3) गृह-10/2016

जयपुर, दिनांक 04.09.2023

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों को सहायक निदेशक अभियोजन के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (15600-39100) ग्रेड पे-(16) 6000/- **Pay Matrix L-15 in Revised Pay Rules 2017** में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का लाभ रिक्ति की दिनांक से एवं नकद लाभ उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा -

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार (सेवानिवृत्त) पुत्र श्री पोहलाराम	सामान्य वर्ग	2021-22	01.02.2022
2.	श्री जगन सिंह पीपल पुत्र श्री भजन लाल	अनुसूचित जाति	2022-23	01.05.2022
3.	श्री पुरुषोत्तम लाल नामा पुत्र श्री गोरधन लाल नामा	सामान्य वर्ग	2022-23	01.06.2022
4.	सुश्री राजश्री व्यास पुत्री श्री सूखदेव व्यास	सामान्य वर्ग	2022-23	01.06.2022
5.	सुश्री शोभारानी पुत्री श्री राम स्वरूप	सामान्य वर्ग	2022-23	01.07.2022
6.	श्री प्रवीण वर्मा पुत्र श्री प्रमोद कुमार वर्मा	सामान्य वर्ग	2022-23	01.07.2022
7.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बुलाकी दास	सामान्य वर्ग	2022-23	01.08.2022
8.	श्री धर्मेन्द्र सिंह धाभाई पुत्र श्री नत्थू सिंह धाभाई	सामान्य वर्ग	2022-23	01.08.2022

*Handwritten signature and date*  
04/09/23

क्र.सं.	नाम अधिकारी	विशेष विवरण	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति की दिनांक
9.	श्री नौरतमल प्रजापत पुत्र श्री औंकार मल	सामान्य वर्ग	2022-23	01.12.2022
10.	सुश्री विनीता सोलंकी पुत्री श्री भगवानदास सोलंकी	सामान्य वर्ग	2022-23	01.01.2023
11.	श्री नरेन्द्र मालव (विकलांग) पुत्र श्री राम कल्याण	सामान्य वर्ग	2022-23	01.02.2023

उक्त अधिकारीगण के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)  
राजस्थान, जयपुर